डिकी बमूकद्दमें इब्तदाई

(आदेश 20 नियम 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत (उपखण्ड अधिकारी) मुकाम जायल जिला–नागौर

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) **कैम्प ग्राम पंचायत–जायल**

मु0न0 172/2017

ादीगण–

1. भंवरलाल पुत्र मोतीराम
2. सोहनराम पुत्र मोतीराम जातियान नायक निवासीगण गुजरियावास तहसील जायल जिला नागौर।

बनाम

तिवादीगण–

1. मदुड़ी पत्नी मोतीराम
2. सुशीला
3. जिमना
4. गौरू पुत्रिया मोतीराम जाति नायक निवासी गुजरियावास तहसील जायल जिला नागौर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जायल

वाद बाबत बंटवाडा खेताय घोषणा खेताय अन्तर्गत धारा 53 व 88

राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक :–23.05.2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी वादी व प्रतिवादी स्वयं की उपस्थिति मे हुक्म दिया जाता हैं व डिगरी दी जाती हैं कि :–

1. वादी संख्या 1 भंवरलाल के हक बंट में मौजा गुजरियावास का खेत ख नं 1085/12 रकबा 0.07 बीघा गैर मुमकीन बाड़ा, ख नं 1085/5 रकबा 0.07 बीघा गैर मुमकीन बाड़ा रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
2. वादी संख्या 2 सोहनराम के हक बंट में मौजा गुजरियावास का खेत ख नं 1042/1 रकबा 0.06 बीघा में से 0.03 बीघा दक्षिणी भाग गैर मुमकीन बाड़ा रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
3. प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 के सामलाती हक बंट में मौजा गुजरियावास का खेत ख नं 1042/1 रकबा 0.06 बीघा में से 0.03 बीघा उतरी भाग गैर मुमकीन बाड़ा रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार जायल को डिकी पर्चा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु तहरीर जारी हो।

लीज x मुबलिक x बाबत् x खर्चा इस मुकद्में मय सूद व शहर x फीस सदी सालाना आज की तारीख,तारीख वसूल योगो तक x को अदा करें। बसीब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 23.05.2018 को जारी किया गया।

(सुरेन्द्र प्रसाद)

उपखण्ड अधिकारी, जायल

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायला	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सावूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमी`नर		
फीस कमीष्नर			बावत् इजराय हुक्मीजान		
बबत इजराय हुक्मीजान					
मुतफरिक			मुतफरिक		

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा यह दो फरीकन को चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही करना चाहिये।

(सुरेन्द्र प्रसाद)

उपखण्ड अधिकारी, जायल

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,जायल जिला–नागौर

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) **कैम्प ग्राम पंचायत– फरड़ोद**

दिनांक–

क्रमांक–रा.लो.अदा.अभि./2018/

तहसीलदार जायल को डिकरी आदेश की प्रति भेजकर लेख है कि मुताबिक डिकी आदेश के राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट आज ही पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी जायल

Scanned by CamScanner